

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला दीकानेर  
मुकदमा नम्बर 68 / 2020  
ONLINE NO. 2020/00134  
मदनलाल पुत्र ठाकरमल जाति ब्राह्मण निवासी दीपसर तहसील रतनगढ  
जिला चुरू निर्णय दिनांक: 23.7.2021  
-वादी-

बनाम


1. ओमप्रकाश पुत्र जयनारायण जाति ब्राह्मण निवासी सुजानगढ जिला चुरू
  2. तहसीलदार श्रीडूंगरगढ उपस्थिति:-
- प्रतिवादीगण-
1. श्री कैलाश सारस्वत अभिभाषक वादी
  2. प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वादी की और से श्री कैलाश सारस्वत ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी स्वयं उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी ने निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है। अतः राजीनामों के अनुसाण में डिक्री जारी की जावे। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 26.11.2019 के द्वारा वादग्रस्त भूमि वाके रोही मौजा बेणीसर तहसील श्रीडूंगरगढ के खेत खसरा नम्बर 453 तादादी 11.92 हैक्टेयर जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 641/453 व खसरा नम्बर 642/453 हुए है के पूर्व का हिस्सा अपीलान्त मदनलाल को व पश्चिम का हिस्सा रेस्पोजेन्ट ओमप्रकाश को देना तय किया गया है। प्रकरण राजीनामों के अनुसरण में निष्पादित किये जाने हेतु इस निर्देश कि साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि राजीनामों को पक्षकारों की उपस्थिति में तस्दीक करते हुए वादग्रस्त भूमि के संबंध में विभाजन की डिक्री पारित करे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी को राजीनामों के अनुसार वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नही होने के कारण वादी वाद स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 453 तादादी 11.92 हैक्टेयर जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 641/453 व खसरा नम्बर 642/453 हुए है के पूर्व की तरफ का हिस्सा तादादी 4.55 हैक्टेयर वादी मदनलाल को व पश्चिम की तरफ का हिस्सा तादादी 7.37 हैक्टेयर प्रतिवादी ओमप्रकाश की खातेदारी घोषित की जाती है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए तदानुसार आने-जाने के रास्ते को ध्यान में रखते हुए नक्शा तस्मीम करे। डिक्री जारी हो।

आदेश आज दिनांक 23.7.2021 को सरे इजलास मेरे द्वारा करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

  
(दिव्या)  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीडूंगरगढ

श्री ठासीन अधिकारी दिव्या आरएएस  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूंगरगढ

मदनलाल पुत्र ठाकरमल जाति ब्राह्मण निवासी दीपसर तहसील रतनगढ जिला चुरु

उनवान

- ओमप्रकाश पुत्र जयनारायण जाति ब्राह्मण निवासी सुजानगढ जिला चुरु।
- तहसीलदार श्री डूंगरगढ  
दावा बाबत विभाजन  
मुकदमा नम्बर 68/2020  
निर्णय दिनांक: 23.7.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रुक्क अदालत वहाजरी वादी की ओर से श्री होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 453 तादादी 11.92 हैक्टेयर जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 641/453 व खसरा नम्बर 642/453 हुए हैं के पूर्व की तरफ का हिस्सा तादादी 4.55 हैक्टेयर वादी मदनलाल को व पश्चिम की तरफ का हिस्सा तादादी 7.37 हैक्टेयर प्रतिवादी ओमप्रकाश की खातेदारी घोषित की जाती है। तहसीलदार श्री डूंगरगढ राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए तदानुसार आने-जाने के रास्ते को ध्यान में रखते हुए नक्शा तरमीम करे।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा हे. में	किस्म	लगान
1	मदनलाल पुत्र ठाकरमल जाति ब्राह्मण निवासी दीपसर तहसील रतनगढ जिला चुरु	641/453 व 642/453 (पूर्वी हिस्सा)	4.55	बारानी	
		किता 2	4.55	बारानी	
2	ओमप्रकाश पुत्र जयनारायण जाति ब्राह्मण निवासी सुजानगढ जिला चुरु।	641/453 व 642/453 (पश्चिमी हिस्सा)	7.37	बारानी	
		किता 2	7.37	बारानी	

तहसीलदार, श्री डूंगरगढ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

लीज...0.....मुबलिंग.....0.....वाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें।

बसिद्व मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 23 माह 07 सन् 2021 को जारी किया गया



*(दिव्या)*  
उपखण्ड अधिकारी  
श्री डूंगरगढ (डीकानेर)

मद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4. रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6. कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7. आदेशिका की तामिल	0		0
योग	0	योग	0

*(दिव्या)*  
उपखण्ड अधिकारी  
श्री डूंगरगढ (डीकानेर)